न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलेक्टर शाहपुरा जिला भीलवाड़ा
पीठासीन अधिकारी – श्री सुनील कुमार मीणा, आर.ए.एस.

प्रकरण सं0 –	जी0सी0एम0एस0 नम्बर	तारीख दायर	तारीख फैसला
89 / 2022 / प्रार्थना पत्र	2022 / 133	03.03.2022	10.11.2025

अनवान

1–2 छोटू लाल, जबदीश पिता मोहन नाई निवासी बच्छखेड़ा तहसील शाहपुरा जिला भीलवाड़ा

– प्रार्थीगण

:: बनाम ::

1– कंचन पत्नी बालू नाई निवासी बच्छखेड़ा तहसील शाहपुरा जिला भीलवाड़ा
2–5 महावीर, रतनी, रमेश, राजेश पिता बालू नाई निवासी बच्छखेड़ा तहसील शाहपुरा जिला भीलवाड़ा
6– रामधन पुत्र सुखदेव गूर्जर निवासी बच्छखेड़ा तहसील शाहपुरा जिला भीलवाड़ा
7– रामलीला पत्नी हेमराज गूर्जर निवासी बच्छखेड़ा तहसील शाहपुरा जिला भीलवाड़ा
8– लाड देवी पत्नी कैलाश खारोल निवासी बच्छखेड़ा तहसील शाहपुरा जिला भीलवाड़ा
9– संज्या पुत्री कैलाश खारोल निवासी बच्छखेड़ा तहसील शाहपुरा जिला भीलवाड़ा
10– सूनील पुत्र कैलाश खारोल निवासी बच्छखेड़ा तहसील शाहपुरा जिला भीलवाड़ा
11– गोपाल पुत्र घीसा खारोल निवासी बच्छखेड़ा तहसील शाहपुरा जिला भीलवाड़ा
12– चन्ता देवी पत्नी जयलाल गूर्जर निवासी बच्छखेड़ा तहसील शाहपुरा जिला भीलवाड़ा
13– मंजु पुत्री बंशीलाल सेवक निवासी बच्छखेड़ा तहसील शाहपुरा जिला भीलवाड़ा
14– शंभुलाल पुत्र बंशीलाल सेवक निवासी बच्छखेड़ा तहसील शाहपुरा जिला भीलवाड़ा
15– हरकचंद पुत्र बंशीलाल सेवक निवासी बच्छखेड़ा तहसील शाहपुरा जिला भीलवाड़ा
16– बन्ना पुत्र नाथू जाट निवासी बच्छखेड़ा तहसील शाहपुरा जिला भीलवाड़ा
17– प्रेम देवी पत्नी बन्ना जाट निवासी बच्छखेड़ा तहसील शाहपुरा जिला भीलवाड़ा
18– रामप्रसाद पुत्र मोहन नाई निवासी बच्छखेड़ा तहसील शाहपुरा जिला भीलवाड़ा
19– भूमिधारी राजस्थान सरकार जरिए तहसीदार शाहपुरा जिला भीलवाड़ा

–विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अतंर्गत धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम रास्ता दिलाये जाने बाबत

उपस्थिति –		
	श्री विनोद सनाढ्य	–अभिभाषक प्रार्थीगण
	श्री अरविन्द सिंह	–अभिभाषक विपक्षीगण 1 से 5
	राज्य पक्ष	–तहसीलदार शाहपुरा

निर्णय

प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अभिभाषक प्रार्थीगण द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251 (क) की उपधारा (1) के अधीन अनुज्ञा के लिए प्रस्तुत किया गया। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के अनुसार ग्राम

उपखण्ड अधिकारी
एवं सहायक कलेक्टर
शाहपुरा, जिला–भीलवाड़ा (राज.)

बच्छखेड़ा पटवार हल्का बच्छखेड़ा भू0अ0निरीक्षक क्षेत्र बच्छखेड़ा तहसील शाहपुरा में प्रार्थीगण की खातेदारी की कृषि भूमि आराजी संख्या 3084 रकबा 0.16 है. दर्ज होकर खातेदारान के उपयोग उपभोग में चली आ रही है। प्रार्थीगणों की उक्त कृषि भूमि आराजी संख्या 3084 में आने जाने हेतु कोई भी रास्ता उपलब्ध नहीं होने से आने जाने कृषि यंत्र, उपज आदि लाने ले जाने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। प्रार्थीगण अपनी आराजी पर पहुंच हेतु आराजी संख्या 3077 गै.मु.सड़क से आराजी संख्या 3076, 3079, 3078, 3086 की पश्चिमी मेर व आराजी संख्या 3080, 3081, 3083 की पूर्वी मेर के मध्य विपक्षीगणों की आराजी से होते हुए 15 फीट चौड़ा व सुविधानुसार लम्बाई तक रास्ता चाहते है। प्रार्थीगणों की आराजी तक पहुंचने के लिए अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध नहीं है। जिससे यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने की आवश्यकता हुई है। प्रार्थीगण रास्ते के अभाव में अपनी आराजियात को काश्त नहीं कर पायेगा जिससे प्रार्थीगण को अपूरणीय क्षति होगी जिसका मूल्यांकन किया जाना संभव नहीं है। अतः श्रीमान से निवेदन है कि प्रार्थीगणों का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाते हुए प्रार्थीगणों की कृषि आराजी में जाने हेतु आराजी संख्या 3077 गै.मु.सड़क से आराजी संख्या 3076, 3079, 3078, 3086 की पश्चिमी मेर व आराजी संख्या 3080, 3081, 3083 की पूर्वी मेर के मध्य विपक्षीगणों की आराजी से होते हुए 15 फीट चौड़ा व सुविधानुसार लम्बाई तक का रास्ता दिलाने जाने का आदेश प्रदान करावें। तथा भूमिधारी तहसीदार शाहपुरा को उक्त चाहे गये रास्ते को राजस्व रेकार्ड व नक्शें में भी स्थायी रास्ता इन्द्राज किये जाने का आदेश प्रदान करावें।

प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षीगण को जरिये सम्मन कारण दर्शित करते हेतु तलब किया गया। विपक्षीगण के विरूद्ध जारी नोटिस तामिल होकर प्राप्त हुए, जिन्हें रेकार्ड पर लिया गया। विपक्षीगण संख्या 3, 6 लगायत 13, 18 के सम्मन अदम तामिल लौटे एवं शेष विपक्षीगणों के सम्मन बाद तामिल प्राप्त हुए किन्तु नियत पेशी दिनांक 21.03.2022 को न्यायालय में उपस्थित नहीं हुए। दिनांक 12.04.2023 को विपक्षीगण संख्या 1, 2, 4, 5 14 लगायत 17 बावजूद सम्मन तामिल को उपस्थित नहीं होने से उनके विरूद्ध एकतफा कार्यवाही अमल में लाई गई। दिनांक 13.06.2023 को विपक्षीगण संख्या 3, 6 लगायत 13, 18 की तलबी हेतु पुनः सही पता प्रोसेस सम्मन प्रस्तुत करने से तलबी की गई। विपक्षीगण 6, 7, 8, 11, 13, 18 के सम्मन बाद तामिल लौटे, विपक्षीगण संख्या 10 का सम्मन अदम तामिल लौटा एवं शेष विपक्षीगण संख्या 3, 9, 13 के सम्मन बाद/अदम तामिल लौटे। प्रकरण विपक्षीगण संख्या 9, 10, 3, 13 की तलबी के नियत किया गया। दिनांक 18.07.2023 को विपक्षीगण संख्या 9, 10, 3, 13 की तलबी हेतु प्रोसेस सम्मन प्रस्तुत किये गये तलबी की गई। दिनांक 21.08.2023 विपक्षीगण संख्या 3, 9, 10 के सम्मन बाद तामिल लौटे किन्तु कोई भी उपस्थित नहीं होने से उनके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई। विपक्षीगण संख्या 6, 7, 8, 11, 12, 18 के सम्मन भी बाद तामिल प्राप्त होकर उपस्थित नहीं होने से उनके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई। प्रकरण विपक्षी संख्या 13 के सम्मन के ईतजार में रखा गया। दिनांक 26.03.2024 को विपक्षीगण संख्या 01 लगायत 05 की ओर से अभिभाषक श्री अरविंद सिंह चौहान द्वारा अधिकार पत्र एवं प्रार्थना पत्र वास्ते दो तरफा कार्यवाही के प्रस्तुत किया गया जिस पर अभिभाषक प्रार्थीगण द्वारा कोई एतराज नहीं किये जाने से स्वीकार किया जाकर विपक्षीगण संख्या 01 लगायत 05 के विरूद्ध एकतरफा से दोतरफा कार्यवाही का आदेश पारित किया गया। दिनांक 31.05.2024 को अभिभाषक प्रार्थीगण द्वारा प्रार्थना पत्र बाबत नवीन मौका रिपोर्ट मंगवाये जाने प्रस्तुत किया गया। विपक्षीगण संख्या 01 लगायत 05 की ओर से प्रार्थना पत्र का जवाब प्रस्तुत किया गया। राज्य पक्ष की ओर से तहसीलदार शाहपुरा उपस्थित हुए।

विपक्षीगण संख्या 01 लगायत 5 द्वारा प्रस्तुत जवाब में स्वयं की आराजियात आराजी संख्या 3083 में से चाही गयी दिशा व चौड़ाई में रास्ता दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं होना अवगत कराया एवं रास्ता दिये जाने पर सहमति प्रदान की गई।

न्यायालय द्वारा तहसीलदार शहपुरा को जरिये पत्र यह निर्देश दिये गये कि प्रार्थीगण द्वारा चाहे गये रास्ते के मुकाबले रिकार्ड एवं मौके का अध्ययन कर, निमयानुसार नवीन रास्ता कायमी के प्रस्ताव भिजवाया जावे। जिसकी अनुपालना में तहसीलदार शाहपुरा द्वारा उनके पत्रांक 229 दिनांक 22.02.2024 अपने प्रतिवेदन के साथ

उपखण्ड अधिकारी
एवं सहायक कलेक्टर
शाहपुरा जिला-भीलवाड़ा (राज.)

रिपोर्ट भू0अ0निरीक्षक, मौका पर्चा, नजरी नक्शा, जमाबंदी आदि प्रस्तुत किये। प्रकरण में अभिभाषक प्रार्थीगण द्वारा पुनः मौका पर्चा रिपोर्ट मंगवाये जाने हेतु प्रार्थना पत्र दिनांक 31.05.2024 को प्रस्तुत किया गया। जो स्वीकार किया जाकर पुनः मौका रिपोर्ट चाही गई। जो तहसीलदार शाहपुरा द्वारा उनके पत्रांक 542 दिनांक 29.7.2025 द्वारा प्रेषित की गई। भू0अ0निरीक्षक बच्छखेड़ा द्वारा प्रस्तुत प्रथम मौक रिपोर्ट में आराजी नम्बर 3076, 3079, 3078 व 3086 की पश्चिमी मेर व आराजी नम्बर 3081, 3080 व 3083 की पूर्वी मेर के मध्य से रास्ता दिया जाना प्रासांगिक नहीं होना बताया। आराजी नम्बर 3081 व 3076 के मध्य मेड़ पर रास्ता बना हुआ होकर आगे 3080 से होते हुए 3083 तक पहुंचना बताया गया। उक्त रास्ता लघुतम नहीं होना बताया गया। लघुतम रास्ता आराजी नम्बर 3028 गेमु. रास्ता से आराजी नम्बर 3086 व 3087 के मध्य से होना बताया गया। प्रार्थीगण की आराजी पर जाने हेतु अन्य कोई वैकल्पिक मार्ग उपलब्ध नहीं होना एवं रास्ता दिया जाना नितान्त आवश्यक होना अवगत कराया गया।

भूअ0निरीक्षक द्वारा प्रेषित द्वितीय रिपोर्ट में अवगत कराया गया कि प्रार्थीगण की आराजी 3084 पर आने जाने हेतु आराजी नम्बर 3077 गेमु. सड़क से होकर 3079, 3076 व आराजी नम्बर 3081, 3080 के मध्य से चाहा गया रास्ता आराजी नम्बर 3081 व 3080 के खातेदार द्वारा अपनी तरफ का हिस्सा रास्ते के रूप में मौके पर छोड़ रखा होना अवगत कराया लेकिन 3076 के खातेदार द्वारा अपनी तरफ का रास्ते का हिस्सा नहीं छोड़ा जाना बताया गया। प्रार्थीगण द्वारा इसी रास्ते का उपयोग आने जाने हेतु किया जाना अपनी रिपोर्ट में अवगत कराया। इस रास्ते के अतिरिक्त अन्य वैकल्पिक मार्ग नहीं होना एवं मार्ग नितान्त आवश्यक होना बताया गया। आराजी नम्बर 3086 व 3087 की मेड़ पर वर्तमान में रास्ता संचालित नहीं होना अवगत कराया गया।

प्रार्थीगण के नियुक्त विद्वान अभिभाषक ने बहस में अपने अभिवचनों/तर्कों से उनके द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को मंजूर किए जाने का अनुरोध किया। एवं भू0अ0निरीक्षक बच्छखेड़ा से प्राप्त रिपोर्ट अनुसार रास्ता दिये जाने हेतु निवेदन किया।

पत्रावली का अद्योपान्त अवलोकन एवं परीक्षण किया गया। अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत की गई बहस पर मनन/चिन्तन एवं तहसीलदार द्वारा प्रेषित भू0अ0निरीक्षक द्वारा तैयार की गई मौका रिपोर्ट के विश्लेषण परिणामस्वरूप न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि:–

1. रास्ते की अत्यांतिक आवश्यकता :– प्रार्थीगण के पास अपनी खातेदारी पर पहुंच हेतु कोई स्थाई मार्ग मौके पर मौजूद नहीं है। भू0अ0निरीक्षक द्वारा अपनी रिपोर्ट में भी वांछित रास्ते के अतिरिक्त अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता नहीं होना बताया है। एवं मार्ग नितान्त आवश्यक होना बताया है। निकटतम मार्ग आराजी नम्बर 3086 व 3087 की मेर से बताया गया है किन्तु उक्त रास्ता संचालित नहीं होकर राजस्व रेकार्ड में दर्ज नहीं है। अतः प्रार्थीगण के लिए सबसे सुगतम मार्ग प्रार्थीगण द्वारा चाहा गया मार्ग ही है, जो राजस्व नक्शा के अवलोकन से सिद्ध हुआ है।
2. तहसीलदार शाहपुरा द्वारा अपनी रिपोर्ट में अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता नहीं होना, एवं प्रार्थी द्वारा चाहा गया रास्ता निकटतम होकर अन्य निकटतम रास्ते का विकल्प नहीं होना बताया है।

उपरोक्त विवचेन से स्पष्ट है कि प्रार्थीगण की आराजी 3084 पर पहुंच हेतु वैकल्पिक रास्ता के अभाव है एवं प्रार्थीगण को रास्ते की अत्यांतिक आवश्यकता है। एवं प्रार्थीगण द्वारा चाहा गया रास्ता ही निर्बाध अवागमन के लिए निकटतम/सुगमतम रास्ता है। अतः प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251 ए स्वीकार किया जाना न्यायालय उचित समझता है।

अतः ग्राम बच्छखेड़ा पटवार हल्का बच्छखेड़ा भू0अ0निरीक्षक क्षेत्र बच्छखेड़ा स्थित विपक्षी संख्या 13 लगायत 15 की खातेदारी की आराजी संख्या 3076 रकबा 0.24 है0 में से 0.0145 है0(58 मीटर गुणा 2.5 मीटर/145 वर्गमीटर) भूमि एवं विपक्षीगण संख्या 06 लगायत 12 की आराजी संख्या 3081 रकबा 0.38 है0 में से 0.0100 है0(40 मीटर गुणा 2.5 मीटर/100 वर्गमीटर), विपक्षीगण संख्या 1 लगायत 5 की खातेदारी आराजी संख्या 3083 रकबा 0.16 है0 में से 0.0145 है0(38 मीटर गुणा 5 मीटर/190 वर्गमीटर) भूमि नवीन रास्ता कायमी का यह प्रकरण न्यायालय न्यायोचित मानता है।

उपखण्ड अधिकारी
एवं सहायक कलेक्टर
शाहपुरा जिला-भीलवाड़ा(राज.)

आदेश

प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र बहक प्रार्थीगण विरूद्ध विपक्षीगण भू0अ0निरीक्षक बच्छखेड़ा से प्राप्त रास्ता प्रस्ताव अनुसार इस प्रकार स्वीकार किया जाता है कि ग्राम बच्छखेड़ा पटवार हल्का बच्छखेड़ा भू0अ0निरीक्षक क्षेत्र बच्छखेड़ा स्थित विपक्षी संख्या 13 लगायत 15 की खातेदारी की आराजी संख्या 3076 रकबा 0.24 है0 में से 0.0145 है0(58 मीटर गुणा 2.5 मीटर/145 वर्गमीटर) भूमि एवं विपक्षीगण संख्या 06 लगायत 12 की आराजी संख्या 3081 रकबा 0.38 है0 में से 0.0100 है0(40 मीटर गुणा 2.5 मीटर/100 वर्गमीटर), विपक्षीगण संख्या 1 लगायत 5 की खातेदारी आराजी संख्या 3083 रकबा 0.16 है0 में से 0.0190 है0(38 मीटर गुणा 5 मीटर/190 वर्गमीटर) की वर्तमान में तहसील शाहपुरा में प्रचलित डी.एल.सी. दर अनुसार मालियत की 2 गुना राशि संबंधित अप्रार्थीगण के पक्ष में अदायगी/भुगतान किये जाने के उपरान्त नवीन रास्ता हेतु वांछित भूमि 0.0145 है0 को आराजी नम्बर 3076 रकबा 0.24 हैक्टेयर में से एवं 0.0100 है0 को आराजी नम्बर 3081 रकबा 0.38 है0 में से तथा 0.0190 है0 आराजी नम्बर 3083 मे से कम करते हुए मुताबिक प्रस्ताव/नजरी नक्शा के राजस्व रेकार्ड में सार्वजनिक रास्ता दर्ज किये जाने एवं नक्शे में तरमीम के आदेश तहसीलदार शाहपुरा को दिये जाते है। पत्रावली फैसल शुमार हो नम्बर से कम हो।

आदेश आज दिनांक 10.11.2025 सरे ईजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी शाहपुरा (भीलवाड़ा) राज.

(सुनील कुमार मीणा)
उपखण्ड अधिकारी एवं
सहायक कलक्टर शाहपुरा

प्रतिलिपि :-

तहसीलदार शाहपुरा पास भेजकर लेख है कि संबंधित विपक्षीगण खातेदारान को रास्ता हेतु उपयोग में आने वाली भूमि की राशि की गणना कर संबंधित खातेदार काश्तकारान को भुगतान किये जाने के उपरान्त आदेशानुसार राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद कर नक्शे में तरमीम किया जाकर पालना रिपोर्ट इस न्यायालय को पेश करें।

उपखण्ड अधिकारी एवं
सहायक कलक्टर शाहपुरा